पूर्ण बेंच

एस से पहले। एस संधावालिया, सी.जे. } एस. सी. मित्तल और एस. पी. गोयल, जे.जे.
"ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। —
अपीलार्थी।

बनाम।

बचन सिंह और अन्य, प्रतिवादी।

एफ.ए.ओ. नं. 473 1980 का।

5 जनवरी, 1982।

मोटर यान अधिनियम (1939 का IV)- धारा 96, 110 तक 110-एफ- मोटर दुर्घटना में मुआवजे के लिए दावा - द्वारा कोई पुरस्कार नहीं दिया गया 'वाहन-बीमाकर्ता' के मालिक के खिलाफ ट्रिब्यूनल-चाहे

बीमित व्यक्ति से स्वतंत्र रूप से उत्तरदायी बनाया जा सकता है - धारा 110 से -110-एफ - क्या अत्याचारी दायित्व से संबंधित सामान्य सिद्धांतों को प्रभावित करता है - उसके प्रावधान - क्या प्रक्रियात्मक - धारा 96 (2) - क्या न्यायाधिकरणों पर भी लागू होता है।

यह माना जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 96 की भाषा, इस प्रस्ताव के लिए कोई वारंट नहीं है कि इस धारा को लागू करने में विधायिका बीमाकर्ता को बीमाधारक से स्वतंत्र रूप से उत्तरदायी बनाने का इरादा रखती है। धारा 96 की उप-धारा (1) का एक सादा पठन इंगित करेगा कि यहां बीमाकर्ता के दायित्व की पूर्व शर्त तब उत्पन्न होती है जब बीमाकृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय प्राप्त किया जाता है जिसने बीमा की पॉलिसी ली है। यह तब और फिर अकेला है कि बीमाकर्ता दावेदार को भुगतान करने के लिए बाध्य है.इस तरह के निर्णय के तहत देय राशि जैसे कि बीमाकर्ता निर्णय देनदार था। इसलिए, बीमाधारक के खिलाफ प्राप्त निर्णय के अभाव में उप-धारा (1) की भाषा के अनुसार बीमाकर्ता के खिलाफ कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। जब वर्गों के साथ पढ़ा 94 तथा 95, यह विधानमंडल के पेटेंट इरादा में तीसरे पक्ष के जोखिम के खिलाफ बीमा मजबूर करने के लिए किया गया था कि प्रकट होता है' मोटर के मामले,वाहनों और क्रम में कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए (अर्थात, दावेदार की आवश्यकता पहले बीमाधारक के खिलाफ एक निर्णय प्राप्त करने और बाद में उसके लिए क्षतिपूर्ति किया जा करने के लिए अपने बीमाकर्ता पर मुकदमा) यह सीधे के रूप में बीमाकर्ता के खिलाफ निर्णय निष्पादित करने के लिए संभव बनाया गया था यदि वह बीमाधारक के खिलाफ दावे की संतुष्टि के लिए निर्णय-देनदार था। । क़ानून स्पष्ट रूप से इससे अधिक करने का इरादा नहीं रखता है। यहां भी, बीमाकर्ता को यह अनिवार्य बनाकर और सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए थे कि वह ^eJnsur(e^ के खिलाफ दावेदार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के लिए एक पक्ष होना चाहिए और फिर मैं निर्दिष्ट, हालांकि सीमित आधारों पर कार्रवाई का बचाव करने के लिए। की धारा 96! इसके परिणामस्वरूप अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि विधायिका द्वारा इसका कभी इरादा नहीं किया गया था और न ही यह अपनी भाषा से प्रवाहित होता है कि बीमाकर्ता बीमाधारक के लिए

उत्तरदायी हो जाएगा और यहां तक कि जब बीमित व्यक्ति को किसी भी दायित्व से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया हो। (पैरा 9)।

इंडिया एश्योरेंस कंपनी बनाम नोराती देवी, एआईआर 1978 पंजाब और हरियाणा 113. ख़ारिज।

यह माना जाता है कि धारा 110 से 110-एफ का इरादा नहीं था और सामान्य रूप से यातना देयता के लिए मूल कानून में कोई भी लाल परिवर्तन नहीं था और बीमाधारक और बीमाकर्ता की परस्पर 1 क्यूलर 'वे मुख्य रूप से प्रकृति में प्रक्रियात्मक हैं। पूरा उद्देश्य M T'^J ^e xpeditious और su^ry की बल्कि धीमी प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करना था

"™एम मैं ^। एम दावा अधिकरण । के संबंध में 3^"टी मोटर वाहनों के पीड़ितों द्वारा मुआवजे का एमके तु^' पीइयान "^ अधिनियम की धारा 110-बी पर 'इंडी ई कि यह बनाने के तरीके के लिए विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक है

अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय और उन मामलों में जहां मुआवजा देय होने का निदेश दिया जाता है, यह निर्धारित किया गया है कि अधिकरण को बीमाकर्ता, वाहन के मालिक/चालक या सभी या उनमें से किसी के द्वारा, जैसा भी मामला हो, भुगतान की जाने वाली राशियों को विनिदष्ट करना चाहिए* यह इस तरह के निर्धारण के लिए मूल कानून को निर्धारित करने का दिखावा भी नहीं करता है, एक मुसीबत। इसके अलावा, दूसरी ओर, अधिनियम की धारा 110-सी की उप-धारा (2-ए) के संदर्भ से संकेत मिलता है कि किसी भी तरह से बीमाकर्ता पर किसी भी दायित्व का बोझ डालने से दूर, यह केवल उनकी सुरक्षा और उनके हितों की सुरक्षा के लिए है। अधिनियम की धारा 96 की उप-धारा (2) ने बीमाधारक के खिलाफ कार्रवाई में बीमाकर्ता के लिए खुले बचाव को गंभीर रूप से सीमित कर दिया था, केवल खंड (ए), (बी) और (सी) में। अधिनियम की धारा 110-सी की उप-धारा (2-ए), जिसे 1969 के अधिनियम संख्या 56 (2 मार्च, 1970 से प्रभावी) द्वारा बहुत बाद में डाला गया था, वास्तव में यह प्रदान करता है कि जहां दावेदार और बीमित व्यक्ति के बीच मिलीभगत थी या जहां बीमित व्यक्ति की ओर से चुनाव लड़ने में विफलता थी; दावा, ट्रिब्यूनल, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, बीमाकर्ता को बीमाधारक को सभी या किसी भी आधार पर दावे का विरोध करने का अधिकार देगा जो बीमाधारक के लिए उपलब्ध थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह प्रावधान किसी भी तरह से बीमाकर्ता के दायित्व का विस्तार करने से दूर स्पष्ट रूप से दावेदार और बीमित व्यक्ति के बीच मिलीभगत के मामलों में उनके हितों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए है या बीमाधारक की विफलता का विरोध करने के लिए। (पैरा 11 'और 12)।

4

कहा कि धारा 96 (2) न्यायाधिकरणों के समक्ष कार्यवाही पर भी लागू होती है, न कि केवल सिविल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही के लिए। (पैरा 17)।

के. गोपालकृष्णन बनाम शंकर नारायणन एवं अन्य ए.आई.आर. 1968 मद 436.

मद्रास मोटर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी वि० [सं०] १. कटानरेड्डी सुब्बारेद्व आदि, ए.आई.आर. 1974 ए.पी. (से असहमत)।

मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 22 सितंबर, 1981 को एसपी गोयल द्वारा एक पुल बेंच को भेजा गया मामला। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एसएस संधावालिया, माननीय श्री एससी मित्तल और माननीय न्यायमूर्ति एसपी गोयल की बड़ी पीठ ने कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए 5 जनवरी, 1982 को मामले को फिर से विद्वान एकल न्यायाधीश को भेज दिया।

श्रीराज कुमार ^ पीटीए, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कमल, दिनांक 21 फरवरी, 1980 के न्यायालय के आदेश से अपील जिसमें याचिकाकर्ताओं को मुआवजा दिया गया था

10,000 करोड़ रुपये की राशि 16,600 याचिका दायर करने की तारीख से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ, वसूली तक, लागत के साथ, प्रभ दयाल, और ओरिएंटल फायर, और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ।

वी. पी. गांधी, अधिवक्ता एल. एम. सूरी, आर. एम. सूरी और एस. एस. धालीवाल, अधिवक्ता, उनके साथ, अपीलकर्ता के लिए।

यूएस साहनी, अधिवक्ता, सुदर्शन गोयल, उत्तरदाताओं के लिए नंबर 6 और 7 के वकील।

निर्णय

एस. एस. संधावलिया, सी.जे.

(1) क्या बीमाकर्ता को अभी भी मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 96 के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जब बीमित व्यक्ति को स्वयं इस तरह के दायित्व से मुक्त कर दिया गया है, यह मूल रूप से कानूनी प्रश्न है जो इस पूर्ण पीठ के समक्ष निर्धारण के लिए आता है। इसी तरह इस संदर्भ में अलवर मोटर एसोसिएशन (पी) लिमिटेड, अलवर बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय के दो डिवीजन बेंच के फैसलों में विचारों का सीधा मतभेद है । हजारी लाल एवं अन्य (1) और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली बनाम भारत एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली नोराती देवी (2)।

2. तथ्य, हालांकि संक्षिप्त रूप से एक लंबी देरी का खुलासा करते हैं जो कभी-कभी मोटर वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों द्वारा दावों के तत्काल मुआवजे के मामलों में भी होता है। 4 दिसम्बर, 1970 को बचन सिंह प्रतिवादी के पुत्र गुरमेल सिंह की मृत्यु हो गई थी। एचआरके 6664। मृतक के आश्रितों की ओर से मुआवजे के लिए एक आवेदन ट्रक के चालक प्रभ दयाल, उसके कथित मालिक दाई राम और ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ दायर किया गया था, जो उल्लंघन करने वाले वाहन के बीमाकर्ता थे। दावेदारों का मामला इस आधार पर टिका हुआ था कि ट्रक को प्रभ दयाल चालक द्वारा लापरवाही से चलाया जा रहा था। दावे के आवेदन का विरोध करते हुए प्रतिवादियों ने दलील दी कि दाई राम ट्रक का मालिक नहीं था, हालांकि यह स्वीकार किया गया था कि यह ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमाकृत था, और प्रभ दयाल द्वारा चलाया गया था। उस समय। ट्रिब्यूनल ने इश्यू नंबर 3 पर माना कि दाई राम ट्रक का मालिक नहीं था और वास्तव में मेसर्स बाल किशन

(1) 1964 पीएलआर 804।

(2) ए.आई.आर., 1978 पंजाब * और हरियाणा 113.

"समालखा के राम धरी इसके असली मालिक थे जिन्होंने जैसे ही ऐसे के रूप में जोड़ा नहीं गया। हालांकि, यह पाया गया कि गुन्नेल सिंह की मृत्यु प्रभ दयाल के द्वारा बेहिसाब और बेपरवाह चलाने के कारण हुई थी और इसलिए मुआवजा 16,600 रुपये पर मूल्यांकन किया गया। हालांकि, मुआवजा प्रार्थना पत्र ने मुआवजा के मामले में इस संदर्भ में आखिरकार नकारात्मक तरीके से नकारात्मक कर दिया था जिस पर नम्बर 3 पर आया। हांलांकि, अपील पर मुआवजा के खिलाफी करार को खारिज कर दिया गया और मामला ट्राइब्यूनल को समझाने के लिए नवंबर किया गया कि इसके बाद अपील की गई है। इस संदर्भ के उद्देश्य के लिए यह अनावश्यक है कि द्वितीय ट्राइब्यूनल के सम्पूर्ण इतिहास का संदर्भ नहीं दिया जाए और इस से कहना काफी है कि उसके दौरान प्रभ दयाल चालक की मौत हो गई और मुआवजा के प्रतिवादकों के अर्रे से उनका नाम हटा दिया गया। तब ट्राइब्यूनल ने फिर पाया कि मे/स्सर बल किशन राम धरी ट्रक के मालिक थे और नहीं डाई राम प्रतिवादी थे। ट्राइब्यूनल के समक्ष प्रोत्साहक द्वारा लिये गए दृढ़ स्थिति यह था कि वो उन्हें जिम्मेदारी दिलाने के लिए प्रारंभ में जब उन्होंने प्रक्रिया के पक्ष में नहीं थे तब दर्ज किए गए सभी सबूतों को देख नहीं सकते थे। इसलिए इसका दावा था कि उनके खिलाफ किसी प्रकार का सबूत नहीं था कि मृत्यु प्रभ दयाल द्वारा ट्रक के बेहिसाब और बेपरवाह चलाने के कारण हुई थी, उन्हें पक्षियों के रूप में जोड़ दिया गया था। इस स्थिति ने ट्राइब्यूनल के साथ मिली और उसके एक आवश्यक पर्यायकरण के रूप में मे/स्सर बल किशन राम धरी को सभी जिम्मेदारियों से मुक्ति दिलाई। फिर भी, ट्राइब्यूनल ने फिर भी अपील करने वाले न्यायिक इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर्स ओरिएंटल फायर और जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जिम्मेदार माना क्योंकि नोरती देवी के मामले (उपरोक्त) के विचारों में तर्क दिया गया था।"3. यह अपील सबसे पहले मेरे विद्वान भाई एसपी गोयल, जे, पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा हजारी लाट और नोराती देवी के मामलों में परस्पर विरोधी विचारों पर भरोसा करने से पहले आई थी। यह देखते हुए कि दो निर्णयों के बीच सीधा संघर्ष था, मामले को पूर्ण पीठ के पास भेज दिया गया है।

4. बहुत शुरुआत में यह उजागर करने योग्य है कि इस दृष्टिकोण के पक्ष में अखंड मिसाल (जिसके लिए संदर्भ अनिवार्य रूप से इसके बाद पालन करेगा) की एक लंबी लाइन है कि बीमाकर्ता की देयता बीमाधारक के खिलाफ निर्णय या पुरस्कार पर सशर्त है। फिर भी मामला सिद्धांत पर कुछ जांच की मांग करता है

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (इसके बाद 'अधिनियम* के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अजीबोगरीब संदर्भ में भी।

5. बहुत ही सीमा पर, बीमा के अनुबंध की वास्तविक प्रकृति पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत ही कोने का पत्थर अब इतनी अच्छी तरह से तय हो गया है कि इस पहलू को विस्तृत करना व्यर्थ होगा। पोर्टर के बीमा के नियम के आधिकारिक ग्रंथ से निम्नलिखित को याद करना पर्याप्त है: -

क्षतिपूर्ति बीमा कानून में नियंत्रण सिद्धांत है, और उस सिद्धांत के संदर्भ में बीमा अनुबंधों पर उत्पन्न होने वाली अधिकांश कठिनाइयों का निपटान किया जाना चाहिए। जीवन पर और दुर्घटना के खिलाफ बीमा को छोड़कर, बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने का अनुबंध करता है जो वह वास्तव में उन घटनाओं के होने से खो देता है जिन पर बीमाकर्ता की देयता उत्पन्न होती है; और किसी भी परिस्थिति में सिद्धांत रूप में आश्वस्त व्यक्ति अपने नुकसान का लाभ कमाने का हकदार नहीं है।

6. संविदाओं पर लीक में कानून का निम्नलिखित प्रतिपादन समान रूप से आधिकारिक है: -

"बीमा केवल क्षतिपूर्ति का एक अनुबंध है: - परिणामस्वरूप, संपत्ति का एक बीमाकर्ता, अनुबंध के तहत देय राशि के भुगतान पर, बीमित व्यक्ति को अधीन किया जाता है, अर्थात, इक्विटी में स्थायी आदेश के रूप में माना जाता है, अंत में नुकसान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति के खिलाफ अपने उपचार का पीछा कर सकता है।

वाह, क्षतिपूर्ति की संविदा की सांविधिक परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 में निम्नलिखित शब्दों में दी गई है -

"एक अनुबंध जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे को स्वयं वादा करने वाले के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाले नुकसान से बचाने का वादा करता है, उसे "क्षतिपूर्ति का" अनुबंध कहा जाता है।

7. इस मामले को विस्तृत करना अनावश्यक लगता है क्योंकि क़ानून की भाषा से ही बीमा के एक कॉन्ट्राक्ट में (कुछ अपवादों को छोड़कर), बीमाकर्ता बीमाधारक को अपने स्वयं के आचरण या आचरण के कारण किसी भी जॉस या देयता के लिए क्षतिपूर्ति करने का वादा करता है

किसी अन्य व्यक्ति का। सामान्य कानून के तहत, इस तरह के अनुबंध के तहत किसी तीसरे पक्ष को कोई अधिकार नहीं मिलेगा यह अधिक है क्योंकि यह अच्छी तरह से तय है कि बीमा का अनुबंध उबेरिमा ज्वार में से एक है।इसमें बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच अत्यंत सद्भावना शामिल है, जिसमें बीमाकर्ता को सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करने के लिए बीमाधारक का दायित्व शामिल है। यह कोलिनवॉक्स के बीमा के ताव पर प्रसिद्ध काम में इस प्रकार कहा गया है: -

".... यह कहकर व्यक्त किया जाता है कि यह अत्यंत अच्छे विश्वास का अनुबंध है - uberrima fides। इसके अलावा, यह अत्यंत सद्भाव न केवल बीमित व्यक्ति से बल्कि बीमाकर्ता से भी आवश्यक है, और इसलिए, बीमाकर्ता प्रकटीकरण के समान कर्तव्य के तहत है। सिद्धांत जीवन बीमा सहित सभी प्रकार के बीमा पर समान रूप से लागू होता है।

यह ऊपर से पालन करेगा, और वास्तव में यह अच्छी तरह से तय किया गया प्रतीत होता है, कि बीमा के अनुबंध में, अनुबंध की गोपनीयता केवल बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच सख्ती से होती है, और आगे यह अत्यंत आत्मविश्वास में से एक है।

8. पूर्वोक्त कानूनी स्थिति के एक आवश्यक परिणाम के रूप में, और अन्यथा भी, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अत्याचारी के खिलाफ एक अत्याचारी कृत्य के लिए नुकसान के दावे में,

उत्तरार्द्ध का बीमाकर्ता न तो एक आवश्यक पार्टी है और न ही किसी भी तरह से सामान्य कानून के तहत दावेदार के लिए उत्तरदायी है। यह स्पष्ट रूप से एक ओर दावेदार और दूसरी ओर अपकृत्य के बीमाकर्ता के बीच अनुबंध की किसी भी गोपनीयता की अनुपस्थिति के कारण है। यह पुनरावृत्ति सहन करता है कि अनुबंध की यह गोपनीयता केवल बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच मौजूद है जो पारस्परिक रूप से खुद को बांधते हैं और किसी तीसरे पक्ष को कोई अधिकार या देनदारियां अर्जित नहीं होती हैं। इसलिए, अपकृत्य के दावे में, सामान्य कानून पहले उदाहरण में अकेले अपकृत्य के खिलाफ एक डिक्री या एक पुरस्कार की कल्पना करता है। इसके बाद ही बीमित अपकृत्य करने वाला संभवत बीमा के अनुबंध के तहत अपने बीमाकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने का दावा कर सकता है। इस प्रकार यह प्राथमिक है कि किसी विशेष सांविधिक प्रावधान, निर्णय या पंचाट को केवल अपकृत्य कर्ता के विरुद्ध निष्पादित किया जा सकता है न कि उसके बीमाकर्ता के विरुद्ध क्योंकि बीमाकर्ता का कोई प्रत्यक्ष दायित्व क्ले-मैरिट के विरुद्ध उत्पन्न नहीं होता है। समान रूप से यदि बीमित व्यक्ति स्वयं किसी भी दायित्व या हानि के बोझ से ग्रस्त नहीं था, तो वह अपने बीमाकर्ता के खिलाफ कोई दावा नहीं कर सकता था। ऐसा दावा केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब बीमित व्यक्ति स्वयं देयता के साथ बंधा हो या उसके खिलाफ निर्णय या पुरस्कार प्रदान किया गया हो।

इसे दूसरे शब्दों में कहें तो, बीमाकर्ता की देयता बीमित व्यक्ति के लिए माध्यमिक और सशर्त है। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, यह सिद्धांत पर स्पष्ट लगता है कि जब तक बीमित व्यक्ति पर पहले देयता नहीं बांधी जाती है, तब तक कोई भी संभवतः बीमाकर्ता पर नहीं पड़ सकता है जिसने केवल बीमाधारक द्वारा किए गए नुकसान या क्षति की क्षतिपूर्ति करने का उपक्रम किया है। इसलिए, यह एक डिस्टम (योग्यता के अधीन) के रूप में कहा जा सकता है कि, बीमाधारक के खिलाफ कोई निर्णय नहीं - बीमाकर्ता के खिलाफ कोई निर्णय नहीं

9. हालांकि सामान्य कानून के तहत, अत्याचारी के खिलाफ एक निर्णय सीधे उसके बीमाकर्ता के खिलाफ निष्पादित नहीं किया जा सकता है, फिर भी निस्संदेह यह एक क़ानून में इसके विपरीत स्पष्ट प्रावधानों द्वारा किया जा सकता है। वास्तव में, हमारे समक्ष यह स्वीकार किया गया था कि मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 96 ©के लिए, बीमाधारक के खिलाफ पुरस्कार सीधे दावेदार द्वारा बीमाकर्ता-कंपनी के खिलाफ निष्पादित नहीं किया जा सकता है। चूंकि इस विशेष संदर्भ में इस मुद्दे को वैधानिक प्रावधान की भाषा को भी चालू करना चाहिए, इसलिए इस स्तर पर धारा 96 के प्रासंगिक हिस्सों को पढ़ना आवश्यक हो जाता है: -

"तीसरे पक्ष के जोखिमों के संबंध में बीमित व्यक्तियों के खिलाफ निर्णयों को संतुष्ट करने के लिए बीमाकर्ताओं का कर्तव्य-

(एल) यदि, उस व्यक्ति के पक्ष में धारा 95 की उप-धारा (4) के तहत बीमा का प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद, जिसके द्वारा पॉलिसी प्रभावित की गई है, तो किसी भी ऐसी देयता के संबंध में निर्णय जो धारा 95 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत पॉलिसी द्वारा कवर किया जाना आवश्यक है (पॉलिसी की शर्तों द्वारा कवर किया गया देयता होने के नाते) पॉलिसी द्वारा बीमाकृत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ प्राप्त किया जाता है, ♦ ♦ ♦ फिर, इस बात के बावजूद कि बीमाकर्ता पॉलिसी से बचने या रद्द करने का हकदार हो सकता है या उससे बच सकता है या रद्द कर सकता है, बीमाकर्ता, इस धारा के प्रावधानों के अधीन, डिक्री के लाभ के हकदार व्यक्ति को किसी भी राशि का भुगतान करेगा जो

उसके तहत देय बीमा राशि से अधिक नहीं है, जैसे कि वह निर्णय-देनदार था, दायित्व के संबंध में, लागत के संबंध में देय किसी भी राशि के साथ और निर्णयों पर ब्याज से संबंधित किसी भी अधिनियमन के आधार पर उस राशि पर ब्याज के संबंध में देय किसी भी राशि के साथ।

(ड) किसी निर्णय के संबंध में उपधारा (1) के अधीन बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि संदेय नहीं होगी जब तक कि उस कार्यवाही के प्रारंभ होने से पहले या बाद में, जिसमें निर्णय दिया गया है, बीमाकर्ता को न्यायालय के माध्यम से कार्यवाही लाने की सूचना नहीं दी गई थी, या किसी निर्णय के संबंध में जब तक कि अपील लंबित रहने तक निष्पादन पर रोक लगा दी जाती है; और एक बीमाकर्ता (जिसे ऐसी किसी भी कार्यवाही को लाने की सूचना है इस प्रकार दिया गया एक नैर्टी बनाने और निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर कार्रवाई का बचाव करने का हकदार होगा, NAMEBV

(ए) कि पॉलिसी को आपसी सहमति से रद्द कर दिया गया था या बी> दुर्घटना से पहले उसमें निहित किसी भी प्रावधान के आधार पर देयता को जन्म दिया गया था, और यह कि या तो बीमा का प्रमाण पत्र बीमाकर्ता को सौंप दिया गया था या जिस व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी किया गया था, उसने यह कहते हुए एक हलफनामा दिया है कि प्रमाण पत्र खो गया है या नष्ट हो गया है, या दुर्घटना होने के चौदह दिनों के बाद या तो पहले या बाद में नहीं, बीमाकर्ता ने धारा 105 के प्रावधानों के अनुपालन के बाद प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है, या

(ख) कि नीति की एक निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन हुआ है, जो निम्नलिखित शर्तों में से एक है, अर्थात्, -

(i) वाहन के उपयोग को छोड़कर एक शर्त-

(ए) भाड़े या इनाम के लिए, जहां वाहन बीमा के अनुबंध के डेटा पर है, एक वाहन जो किराए या इनाम के लिए प्लाई करने के लिए परमिट द्वारा कवर नहीं किया गया है; या

(बी) संगठित रेसिंग और गति परीक्षण के लिए; या

(ग) परमिट द्वारा अनुमत उद्देश्य के लिए जिसके तहत वाहन का उपयोग किया जाता है, जहां वाहन एक परिवहन वाहन है; या

(घ) साइड-कार संलग्न किए बिना, जहां वाहन एक मोटर साइकिल है; या

(ii) एक नामित व्यक्ति या व्यक्तियों या किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग को छोड़कर एक शर्त जिसे विधिवत लाइसेंस प्राप्त है,

..... या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अयोग्यता की अवधि के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है; नहीं तो

(iii) युद्ध, गृहयुद्ध, दंगा या नागरिक उपद्रव की स्थितियों के कारण हुई या योगदान की गई क्षति के दायित्व को छोड़कर एक शर्त; या

(ग) कि नीति शून्य है या यह आधार है कि यह किसी तात्विक तथ्य के प्रकटीकरण न होने या तथ्य के अनिरूपण द्वारा प्राप्त की गई थी जो किसी भौतिक विशिष्टता में मिथ्या थी।

अब उपरोक्त धारा 96 को लागू करने में विधायिका का वास्तव में क्या इरादा था और इसका सही अर्थ क्या था, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या इसका इरादा बीमाकर्ता को बीमाधारक से स्वतंत्र रूप से उत्तरदायी बनाने का था, मुझे ऐसा नहीं लगता। धारा 96 की भाषा स्पष्ट रूप से इस बल्कि कट्टरपंथी प्रस्ताव के लिए कोई वारंट नहीं है। वास्तव में यह इसके विपरीत एक स्पष्ट सूचक प्रतीत होता है। धारा 96 की उप-धारा (1) का एक सादा पठन इंगित करेगा कि यहां बीमाकर्ता की देयता की पूर्व-शर्त तब उत्पन्न होती है जब बीमाधारक व्यक्ति के खिलाफ निर्णय प्राप्त किया जाता है जिसने बीमा की पॉलिसी ली है। यह तब और फिर अकेले है कि बीमाकर्ता दावेदार को इस तरह के फैसले के तहत देय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है जैसे कि बीमाकर्ता निर्णय-देनदार था। इसलिए, बीमित व्यक्ति के खिलाफ प्राप्त निर्णय के अभाव में उप-धारा (1) की भाषा के अनुसार, बीमाकर्ता के खिलाफ कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। जब धारा 94 और 95 के साथ पढ़ा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका का पेटेंट इरादा मोटर वाहनों के मामले में तीसरे पक्ष के जोखिम के खिलाफ बीमा को मजबूर करना था और इससे बचने के लिए'कार्यवाही की बहुलता (अर्थात, दावेदार की आवश्यकता पहले बीमाधारक के खिलाफ निर्णय प्राप्त करना और बाद में उसके बीमाकर्ता पर मुकदमा करना उसके लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए) बीमाकर्ता के खिलाफ सीधे निर्णय निष्पादित करना संभव बनाया गया था यदि वह बीमाधारक के खिलाफ दावे की संतुष्टि के लिए निर्णय-देनदार था। क़ानून स्पष्ट रूप से इससे अधिक करने का इरादा नहीं रखता है। यहां भी आगे के सुरक्षा उपाय थे

बीमाकर्ता को यह अनिवार्य बनाकर प्रदान किया जाता है कि उसे बीमाधारक के खिलाफ दावेदार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के लिए एक पक्ष बनाया जाना चाहिए और फिर निर्दिष्ट, हालांकि सीमित आधार पर कार्रवाई का बचाव करना चाहिए। अधिनियम की धारा 96 परिणामस्वरूप यह स्पष्ट करती है कि यह विधायिका द्वारा कभी भी इरादा नहीं किया गया था और न ही यह अपनी भाषा से प्रवाहित होता है कि बीमाकर्ता बीमाधारक के लिए उत्तरदायी हो जाएगा और यहां तक कि जब बीमित व्यक्ति को किसी भी दायित्व से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया हो।

10. इस क़ानून के सिद्धांत और भाषा दोनों को उसके खिलाफ लोड किया जा रहा है और आगे मिसाल की एक पत्थर की दीवार का सामना करना पड़ रहा है, श्री साहनी, रिसटेंडेंट के विद्वान वकील ने यह तर्क देकर एक फ़्लैंकिंग आंदोलन करने का प्रयास किया कि अधिनियम की धारा 110 से 110-एफ जो बाद में 1956 में क़ानून में पेश की गई थी, ने बीमाधारक और बीमाकर्ताओं के लिए लागू मूल कानून में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। यह संदर्भ। विशेष रूप से मिसाल के संबंध में यह प्रस्तुत करने की मांग की गई थी कि याचिकाकर्ताओं की ओर से जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया था (जिनके लिए विस्तृत संदर्भ का पालन किया जाएगा) ने अधिनियम की धारा 110 से 110-एफ के प्रभाव को स्पष्ट रूप से ध्यान में नहीं रखा था। अधिनियम की धारा 110-सी की उप-धारा (2-ए) पर विशेष निर्भरता रखने की मांग की गई थी, जिसे बाद में 2 मार्च से प्रभावी भी जोड़ा गया था, 1970. इस विशिष्ट प्रावधान पर, यह विकल्प में तर्क दिया जाना था कि जहां बीमाकर्ता-कंपनी ने बीमाधारक के लिए उपलब्ध सभी आधारों पर दावे का विरोध करने का अधिकार प्राप्त किया है, बीमाकर्ता को बीमाधारक के खिलाफ किसी भी निर्णय या पुरस्कार के साथ दायित्व के साथ जोड़ा जा सकता है। "

11. पूर्वोक्त सबमिशन के संदर्भ में सामने से उठता है कि क्या 1956 के अधिनियम संख्या 100 (और बाद में उसमें किए गए संशोधन) द्वारा अधिनियम की धारा 110 से 110-एफ का सम्मिलन, सामान्य रूप से अत्याचारी दायित्व के लिए मूल कानून में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन करने का इरादा था और विशेष रूप से बीमित और बीमाकर्ता की। मेरा ऐसा विचार नहीं है। इन प्रावधानों को सामूहिक रूप से पढ़ने से संकेत मिलता है कि वास्तव में वे मुख्य रूप से प्रकृति में प्रक्रियात्मक हैं। इसका संपूर्ण उद्देश्य मोटर यान दुर्घटनाओं के पीड़ितों द्वारा मुआवजे के तत्काल दावों के संबंध में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष सामान्य सिविल न्यायालयों की अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया को त्वरित और संक्षिप्त प्रक्रिया से प्रतिस्थापित करना था। हालांकि ऐसा लगता है

धारा 110 से 110-एफ की भाषा से पेटेंट, इस मामले को विस्तृत करना अनावश्यक है क्योंकि इस अधिकार क्षेत्र के भीतर इस मुद्दे को प्राधिकरण द्वारा सुलझाया जाता है। श्री राम प्रताप बनाम महाप्रबंधक, पंजाब रोडवेज, अंबाला (3) ने इसी तरह के तर्क को दुआ, जे द्वारा निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया था:

"दूसरे बिंदु का सबसे पहले समाधान करते हुए, यह सच है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-बी में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि केवल तभी मुआवजा दिया जा सकता है जब वाहन के चालक की तरफ से लापरवाही साबित हो, लेकिन फिर भी इसे ध्यान में रखना चाहिए कि ये खंड (110 से 110-एफ) केवल मोटर दुर्घटना दावों के ट्रिब्यूनल को नागरिक अदालतों के स्थान पर स्थापित करने के विषय से निपटते हैं, ताकि मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में मुआवजे के दावों पर फैसला किया जा सके। वे इस प्रश्न से नहीं निपटते कि कौन उत्तरदायी होगा और किस परिस्थिति में, यदि कोई दुर्घटना से कोई चोट लगती है। इसलिए, उत्तरदायित्व के मानदंड या परीक्षण की खोज के लिए, हमें उस कानूनी प्रावधान के अभाव में जो लापरवाही के बावजूद उत्तरदायित्व तय करता है, क्षतिपूर्ति कानून की ओर मुड़ना होगा जिसके अनुसार निस्संदेह दुर्घटना के कारण लापरवाही, आम तौर पर बोलते हुए, उस व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराने के लिए आवश्यक है। बार पर कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है जो मुझे यह मानने के लिए प्रेरित करे कि उपरोक्त खंडों में क्षतिपूर्ति कानून को किसी भी तरह से बदल दिया गया है। क्षतिपूर्ति कानून में उत्तरदायित्व का मूल सिद्धांत, जब किसी व्यक्ति को मौत या शारीरिक चोट लगी होती है, तो वह लापरवाही या कानून द्वारा आवश्यक देखभाल करने में विफलता होती है। यह तर्क नहीं दिया गया है और, वास्तव में, यह भी नहीं सुझाया गया है कि मेरे सामने प्रस्तुत दावा किसी बीमा योजना, अनुबंधात्मक या वैधानिक पर आधारित है। इसलिए, मैं इस तर्क को खारिज करने में कोई हिचक नहीं करता हूँ।"

"फिर भी ऐसा लगता है कि श्री साहनी द्वारा धारा 110-बी और 110-सी पर निर्भरता शायद ही अच्छी तरह से सोची गई है। अधिनियम की धारा 110-बी पर एक स्पष्ट नजर से यह संकेत मिलता है कि यह शुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक है, जो ट्रिब्यूनल द्वारा पुरस्कार बनाने की मोडस के लिए प्रदान करता है और जिन मामलों में मुआवजा देने के लिए निर्देशित किया जाता है, उनमें यह निर्धारित है कि ट्रिब्यूनल को बीमाकर्ता, वाहन के मालिक या चालक द्वारा या उनमें से सभी या किसी भी एक द्वारा, जैसा भी मामला हो, भुगतान की जाने वाली राशियों को निर्दिष्ट करना चाहिए। यह ऐसी देयता का निर्धारण करने के लिए मूलभूत कानून बताने का भी दूर-दूर तक कोई ढोंग नहीं करता है।

"पहले मुद्दे के साथ निपटने पर, यह सच है कि मोटर वाहन अधिनियम के धारा 110-बी में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है कि कंपेंसेशन केवल तब ही प्रदान किया जा सकता है जब वाहन के चालक की तरफ से लापरवाही स्थापित होती है, लेकिन तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि इन धाराओं (110 से 110-एफ तक) का यह संच बस मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाले दुर्घटनाओं के संबंध में क्लेम्स का निर्णय करने के उद्देश्य से नागरिक न्यायालय को मोटर दुर्घटना दावों के लिए स्थानांतरित करने के विषय को ही संबोधित करते हैं। वे यह सवाल किसे दोषी माना जाएगा और किस परिस्थितियों में, यदि किसी दुर्घटना से किसी को कोई चोट होती है, इसके संदर्भ में नहीं होते हैं। इसलिए, निर्दिष्ट रूप से दोष के बिना जिम्मेदारी को निर्धारित करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान होने के अभाव में, हमें इसके दुरुपयोग को पकड़ने के लिए क्षति का मामूला या परीक्षण खोजने के लिए दौड़ना पड़ता है, जिसके अनुसार बिना किसी दोष के दुर्घटना को उत्पन्न करने में दुर्लभ होता है। साबित करने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है कि उपरोक्त धाराओं का संच किसी भी प्रकार से न्यायालय के न्याय को अतिक्रमण करते हैं। तोर्ट्स का कानून में दुर्भाग्यवश साबित दुर्घटना में दुर्लभ होने वाली दोष के रूप में ही दोषी को जवाबदेह मानने के लिए मुख्य सिद्धांत है। मेरे सामने तुबादले के किसी कानूनी प्रावधान जिम्मेदारी को दूर करने के लिए उपरोक्त धारों के इस कच्चे के साथ कुछ नहीं कहा गया है।"

"12. फिर से मुझे लगता है कि मोटर वाहन अधिनियम के धारा 110-बी और 110-सी पर मिस्टर साहनी के रूप में निर्भर करने का प्रयास बहुत ही अच्छा नहीं है। अधिनियम की धारा 110-बी पर प्लेन दृष्टि इसे प्रक्रियात्मक रूप में प्रावधान करने वाली है और जब कंपेंसेशन देने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, तो इसमें प्रदान किया जाता है कि ट्रिब्यूनल को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि किसको कितनी राशि देनी है, जिसे बीमा कंपनी, मालिक या वाहन के चालक या उनमें से किसी को भुगतान करना चाहिए। यह दूर से भी दावा नहीं करता है कि किसी ऐसी सूचना को देने की प्रक्रिया की जा रही है जो किसी बीमा की योजना पर आधारित है, समझौता या साधारण कानून पर। मेरे पास इस संदेह को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।"

"13. अब पूर्वानुमान में उलझने के लिए पूर्वानुमान की बड़ी मात्रा की तरफ करने के लिए दरज है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-सी के उप-धारा (2-ए) का संदर्भ विशेष रूप से इसके संरक्षण और उनके हित के लिए होता है, किसी भी दुर्बलता के साथ उनके संरक्षण और उनके हित के लिए है। इसे याद दिलाने की योग्यता है कि अधिनियम की धारा 96 की उप-धारा (2) ने बीमा कंपनी को बीमित व्यक्ति के खिलाफ किए गए कार्यवाहन में केवल उन क्लेम्स के प्रति खुले रहने वाले बचत किए थे जो उसके लिए धारा (ए), (ब), और (सी) में थे। अधिनियम की धारा 110-सी की उप-धारा (2-ए) जो 1969 के अधिनियम संख्या 56 के द्वारा बाद में डाली गई थी (2 मार्च, 1970 के प्रभाव से), वाकई यह दर्ज करती है कि जहां दावक और बीमित के बीच में साजिश थी या जहां बीमित द्वारा दावा करने में विफलता थी, तो ट्रिब्यूनल, कारण दर्ज करने के लिए बीमा कंपनी को उन विफलता के सभी या किसी भी आधारों पर दावा करने का अधिकार देगा जो बीमित के पास थे। इसलिए यह स्पष्ट है कि यह प्रावधान बीमा कंपनी की जिम्मेदारी को किसी भी तरह से बढ़ाता नहीं है, बल्कि यह सीधे रूप से

उनके संरक्षण और उनके हित के लिए है जब दावक और बीमित के बीच साजिश होती है या बीमित द्वारा दावा करने में विफलता होती है।"

"14. एक समान प्रश्न पूर्व में कर्णाटक हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच के सामने उत्पन्न हुआ था, जिसमें न्यू इंडिया एस्यूरेंसेस कंपनी लिमिटेड बनाम पर्वतम्मा और अन्यों का (6) मामला था, और फिर से इसका स्पष्ट उत्तर निम्नलिखित रूप में दिया गया था:

"निर्धारण के लिए प्रश्न है कि क्या बीमा कंपनी जिम्मेदार थी, हालांकि बीमित पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हमारे मतानुसार, उत्तर नकारात्मक होना चाहिए।" * * * * * #..... *

* * * * * * * * * * *

और फिर से,

"लेकिन हर मामले में बीमित की जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि उसे बांधने वाला बना सके और उसे दावे का उत्तर देने के लिए जिम्मेदार बना सके..."

"बराला रमास्वामी बनाम भामीडियाती सत्यनारायण और दूसरे (7) में, इस संदर्भ में निम्नलिखित रूप से देखा गया कि - "इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 96 (1) की भाषा से स्पष्ट होता है कि मुकदमा बीमित के खिलाफ फाइल किया जाना चाहिए, और उसके खिलाफ जजमेंट प्राप्त किया गया हो। बीमित के खिलाफ जजमेंट प्राप्त किया जाने के बाद ही रकम बीमित, यानी इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त की जा सकती है। धारा 96 (2) इंश्योरेंस कंपनी को सूचना जारी करने के लिए और इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उठाए जा सकने वाले बचाव को प्राप्त करने के संरचनों के लिए प्रावधान करती है। धारा 96 (2) के शब्दों से स्पष्ट होता है कि तीसरे पक्ष द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ उठाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, धारा 97 इस निष्कर्ष निष्कर्ष को समर्थन देती है।" "अब्दुल गफूर और दूसरों बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (8) में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने विधिक धाराओं की विश्लेषण के बाद फिर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला: - "इन धाराओं के संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि इंश्योरर को वाहन के मालिक के खिलाफ प्राप्त राशि भुगतान करने का दायित्व होता है, कुछ शर्तों और पात्रताओं के साथ। पहली शर्त यह है कि एक बीमित व्यक्ति के खिलाफ एक जजमेंट या दिनांक होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जजमेंट को धारा 95 के उप-अनुभाग (1) के अनुभाग (बी) के तहत की गई जवाबदेही के रूप में होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि जिम्मेदारी, वास्तव में, पॉलिसी की शर्तों के द्वारा ढकनी चाहिए। अगर इन तीन शर्तों में से कोई भी पूरी न हो, तो इंश्योरर को तीसरे पक्ष द्वारा किसी भी क्षति या मौके की मृत्यु के लिए मुआवजा देने का कोई दायित्व नहीं होगा। इन धाराओं से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि मालिक (बीमित व्यक्ति) के खिलाफ किसी फैसले की आदाय न होने के अबाव तीसरे पक्ष द्वारा कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि पॉलिसी के तहत इंश्योरर को उस मुकदमे की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होता है, जो व्यक्ति बीमित के खिलाफ अकृत्रिम हो सकती है।" "यदि किसी दिलासा के सामने कुल मिलाकर कई पूर्वानुभव के खिलाफ भी नहीं हैं, तो मिस्टर साहनी, उत्तराधिकारी के लिए शिक्षित, को स्वीकार करना पड़ा कि बीमित के सभी जिम्मेदारी से बाहर छोड़ दिया गया था कि कोई प्रत्यापक कार्यवाही के प्राधिकृत कानून (धारा 96 (2) का प्रावधान) और इसका प्रयोग केवल नागरिक न्यायालय में तर्क के लिए किया जा सकता है, उसका

दावा किया कि ऐसा दूरीकरण हासिल नहीं हुआ था। उन्होंने तथापि एक साहित्यिक कारण के रूप में K. गोपालकृष्णन माइनर बाय नेक्स्ट-फ्रेंड गर्दियन फादर B.आर. कृष्णन बनाम संकर नारायण और दूसरों (13), में बिना बीमित के सभी जिम्मेदारी से बरी किए जाने पर भी इंश्योरर को जिम्मेदार माना जा सकता है कि धारा 96 (2) का प्रावधान आदालती मुकदमों के प्रक्रिया के साथ संबंधित होता है, अबे एक न्यायालय में मुकदमे के प्रकरण में ही लागू होता है। उपरोक्त विचार को पढ़ा जाने के बाद मैं इस निर्णय के साथ समर्थन में हूं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष तीर्थ-पक्ष के दावों से पहले जिम्मेदार के खिलाफ कोई फैसला नहीं हो सकता है कि किसी क्लेम्स ट्रिब्यूनल के सामने मामले में इस तरह से आया, और खासकर उस क्लेम्स ट्रिब्यूनल में सुनाई देते हैं, धारा 96 (2) का प्रावधान लागू नहीं होगा। किसी भी अन्य व्याख्यान से अनुसरण किया जाने वाला उपन्यास ने उनके स्थान का समर्थन किया है।"

"अब्दुल गफूर और अन्य बनाम न्यू इंडिया एस्यूरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (8), इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने एक सांविधिक प्रावधानों के विश्लेषण के बाद फिर से निम्नलिखित का निष्कर्षण किया है:

"उपर्युक्त प्रावधान आपको वाहन के मालिक के खिलाफ प्राधिकृत राशि भुगतान करने की कर्तव्य प्राप्त करते हैं जो कुछ शर्तों और पात्रताओं के साथ हो सकती है। पहली शर्त यह है कि प्राधिकृत व्यक्ति के खिलाफ एक न्यायिक या निर्णय होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि निर्णय को अनुच्छेद (1) की श्रेणी (ब) के तहत की जाने वाली जिम्मेदारी के संदर्भ में होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि जिम्मेदारी, वास्तव में, पॉलिसी की शर्तों से ढक जानी चाहिए। इन तीन शर्तों में से किसी भी तीन शर्त को पूरा नहीं किया जाता है, तो बीमा कंपनी को तिसरे पक्ष के खिलाफ भौतिक चोट या मृत्यु के लिए मुआवजा देने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये प्रावधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि मालिक (प्राधिकृत व्यक्ति) के खिलाफ कोई निर्णय न होने पर, बीमा कंपनी को तीसरे पक्ष की मांग को संतुष्ट करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है क्योंकि पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी को उस जिम्मेदारी को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी होती है जो प्राधिकृत व्यक्ति के खिलाफ बढ़ सकती है....."

"यद्यपि सब कुछ समय पर नहीं, इस प्रभाव में विमुक्ति होने के साथ भी यह समरूप टिप्पणियाँ कुछ दूसरे मामूली मुद्दों में इस प्रभाव के बारे में की गई हैं हिन्दुस्तान आईडियल इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पोकंति औकिश और अन्य (9)। हिन्दुस्तान आईडियल इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पप्पु रूजरी और अन्य (10) और द न्यू एशियाटिक इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कुलवंत देवी और अन्य (11)।

(8) 1981 एसीडी 15

(9) 1969 ए.सी.जे. 60 (एपी)

(10) 1972 ए.सी.जे. 434

(11) ए.आई.आर. 1959 जेएंडके 90

15. इसी न्यायालय के इस बहु

संख्यक पूर्वाग्रह के साथ, दृढ रूप से यही दृष्टिकोण बना रहा है। श्री नंद सिंह विर्दी बनाम पंजाब रोडवेज, अमृतसर और अन्य (12) में, पंडित, जे., ने निरपेक्ष रूप से निम्नलिखित राय व्यक्त की:

"…. बीमा कंपनी केवल आसुरकृत की जिम्मेदारी का भुगतान करती है और वह भी उस मात्रा तक जिसके खिलाफ वाहन का बीमा किया गया है। इसलिए तीसरे पक्ष को पहले से ही आसुरकृत की जिम्मेदारी का सबूत प्रस्तुत करना होता है और फिर ही वह आसुरकृत के खिलाफ दिए गए मुआवजा की राशि को बीमा कंपनी से वापस पा सकता है। अगर वह अपनी दावा आसुरकृत के खिलाफ साबित नहीं कर पा रहा है, तो वह बीमा कंपनी से किसी भी मुआवजा को प्राप्त नहीं कर सकता है। मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों ने, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से मुआवजा मांगा जाने वाला सामान्य कानून को किसी भी तरह से बदला नहीं है……"

उपर्युक्त दृष्टिकोण को स्वीकृति दिलाने के बाद यही दृविधी बेंच ने अलवर मोटर एसोसिएशन (प्राइवेट) लिमिटेड, अलवर और अन्य बनाम हजारी लाल और अन्य (1 सुप्र), उपस्थित पासेज का सहमति के साथ प्रवृत्त किया।

16. इस भारी पूर्वग्रंथ के बोझ के साथ, श्री साहनी, उत्तराधिकारी के लिए शिक्षित वकील, को मजबूर किया गया कि एक सीधा अधिकारी (न्यू इंडिया एस्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू दिल्ली, (उपर्युक्त) के विचार में अलावा, बीमा कंपनी को जिम्मेदारी देने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्राधिकृता (प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर) होने का कोई सीधा प्राधिकृत नहीं है और यहाँ तक कि प्राधिकृत व्यक्ति को सभी जिम्मेदारी से निर्दोष कर दिया गया था। तथापि, सीख के रूप में, संख्या 96 (2) का प्रावधान न्यायिक महकमे के प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होता है और यह केवल एक नागरिक महकमे में एक सीधे श्रवण के संदर्भ में आकर्षित होता है।

The aforementioned view has been later followed in Madras, Motor & General Insurance Co. v. Katanreddi Subhareddy और अन्य (14)

(12) 1962 P.L.R. 917.

(13) A.I.R. 1968 Madras 436.

(14) A.I.R. 1974 A.P. 310.

17. यह दृष्टिकोण स्पष्ट दिखता है कि अधिनियम के धारा 110 से 110-एफ तक को देखकर यह साफ हो जाता है कि जब एक मोटर दुर्घटना मान्यता अदालत गठित होती है, तो अधिनियम की धारा 96 स्वयं ब्यक्ति को प्रभावित करेगी, यह स्थिति को तात्काल लागू हो जाएगी, नांकि अधिनियम के धारा 96 की तरह यह विचार नहीं है कि तबादला किया गया हो, इसलिए नागरिक अदालतों को बदल देगा और, इसलिए, इस प्रकार के प्रावधानों को अदालतों के बदल देगा, और, इसलिए, यह अदालतों की

बदल देगा, और, इसलिए, यह अदालतों की बदल देगा, और, इसलिए, इस प्रकार के प्रावधानों को इस प्रकार के प्रावधानों को बदल देगा, इस तथ्य को विस्तार से नहीं बताने की आवश्यकता है क्योंकि इस मामले का मुद्दा कोलकाता उच्च न्यायालय की एक विभागीय बेंच के सामने आया था Hukam Chand Insurance Co. Ltd. v. Subhashini Roy और दूसरों (15), और K. Gopalakrishnan Minor के विचार से विपरीत अभिवादन करते हुए, और Madras Motor and General Insurance केस (सुप्र), इसने निम्नलिखित रूप से टिप्पणी की:

"इन धाराओं की अध्ययन से यह स्पष्ट दिखता है कि संशोधित प्रावधान के अनुसार मुआवजे के दावों की न्यायाधिकरण के मामले में केवल एक परिवर्ण प्रक्रिया के साथ न्यायिक अदालतों को दबावित करने का यही बदलाव लाया गया है कि किसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा स्थापित किसी भी उद्देश्य के लिए यदि किसी दावों की न्यायिक अदालत गठित की जाती है, तो यह परिवर्ण प्रक्रिया का पालन करके मुआवजे के दावों की न्यायिक अदालत द्वारा दवाब को बदल देता है। इसलिए, यह अधिनियम की धारा 96(2) में सुधार नहीं किया गया हो, जब भी किसी क्षेत्र के लिए एक मुआवजे की न्यायिक अदालत का गठन किया जाता है, तो धारा 96(2) में विशब्ध शब्द 'अदालत' को मुआवजे की न्यायिक अदालत का मतलब होना चाहिए। किसी अन्य व्याख्या से विचित्र और बेतुके परिणाम प्राप्त होगा। मैं उपरोक्त टिप्पणियों के साथ समर्पित रूप से सहमत हूँ और न्यायाधिकरण की धारा 96(2) में दी गई टिप्पणियों के साथ मेरा असहमति दर्ज करने के लिए और भी विस्तार से कारणों के साथ निष्कर्षित हूँ, मैं K. Gopalakrishnan Minor की टिप्पणियों के साथ (सुप्र), और Madras Motor & General Insurance Co. के मामले (सुप्र), भी दर्ज करता हूँ।

18. मुख्याध्यापक साहनी के प्रति न्यायमूलक होने के लिए, इसे ध्यान में रखना चाहिए कि वह वैंग्यार्ड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम Foolchand Mandal और अन्य (16), और M/s Assam Corporation के उपयोग का भी संदर्भ दिया, बिना संदिग्धता के उसके पक्ष को सहायक होगा। हालांकि, सिद्धांत, अधिनियम की भाषा और प्रसेदन के भार के बारे में विस्तार से चर्चा के दृष्टिकोण से, मैं इसे समर्थन देने में असमर्थ हूँ और सबसे बड़े इस इस असहमति को दर्ज करने के लिए मजबूर महसूस करता हूँ।

"इसके ऊपर के ध्यान से अध्ययन करने से ऐसा लगता है कि संशोधित प्रावधान द्वारा मुआवजा के दावों के निर्णय में जो केवल परिवर्तन किया गया है, वह यह है कि जब किसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा किसी उद्देश्य के लिए क्लेम्स ट्रिब्यूनल स्थापित होता है, तो अदालतों को उन्हें क्लेम्स ट्रिब्यूनल से बदल दिया जाता है, और इसके परिणामस्वरूप में एक संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करने वाले मुआवजा के दावों के निर्णय के लिए हाई कोर्ट के पास अपील करने का अधिकार होता है। इसलिए, यह सिद्ध होता है कि हालांकि धारा 96(2) का योग्य रूप से संशोधन नहीं किया गया है, जब भी किसी क्षेत्र के लिए क्लेम्स ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाता है, तो धारा 96(2) में पाये जाने वाले 'अदालत' शब्द का अर्थ क्लेम्स ट्रिब्यूनल होना चाहिए। किसी अन्य व्याख्या से अद्भुत और विकृत परिणाम होगा।

मैं इस परिप्रेक्ष्य में उक्त विचारों के साथ संवादग्रंथ में दर्ज किए गए विस्तारित कारणों के साथ सभी सुसंगत विचारों के साथ इस पर आदरपूर्ण सहमति में हूं और के जुद्दे में भी इस विचार से असहमति का अभिलेख करता हूं, जैसा कि के. गोपालकृष्णन माइनर के मामले (उपरोक्त) और मद्रास मोटर और जन बीमा कंपनी के मामले (उपरोक्त) के विचारों के साथ जिसके विचार में विवाद किया गया है।

18. मिस्टर साहनी के प्रति यह न्यायिक निष्कर्ष किया जाना चाहिए कि उन्होंने वींगार्ड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम फूलचंद मंडल और अन्य (16), और एम/एस असम कॉर्पोरेशन बनाम बीनू रानी आओ और अन्य (17) पर भी आश्रय दिया है। बिना शक के, उनमें किए गए विचार उनके स्थिति को कुछ सहायता प्रदान करेंगे। हांफिलहाल, सिद्धांत, संविधान की भाषा और पूर्वानुमान के व्यापक वजन के बारे में विस्तारित चर्चा के दृष्टिकोण से, मैं उसी के खिलाफ होने के लिए असमर्थ हूं और सबसे बड़ा सम्मान के साथ उससे असहमति का अभिलेख करने के लिए मजबूर महसूस करता हूं।"

19. अंत में, यह आवश्यक है कि 'न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के मामले (उपर्युक्त) पर ध्यान दिया जाए, जिसने वास्तव में इस संदर्भ को बड़ी पीठ के सामने लाने की आवश्यकता पैदा की। निर्णय की समीक्षा से पता चलता है कि मामला डिविजन बेंच के सामने पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था और यह तथ्य से स्पष्ट है कि इसे लिमिने में निपटाया गया था। न्यायाधीशों ने केवल एक अनंतिम राय व्यक्त की और इस प्रकार निरीक्षण किया:

".... जैसा कि वर्तमान में सलाह दी जा रही है, हम इस व्यापक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते कि एक बीमा कंपनी कभी भी दायित्वबद्ध नहीं हो सकती जब तक कि बीमाकर्ता को मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया जाता, या उसे शामिल करने के बाद उसका नाम उत्तरदाताओं की सूची से हटाने का आदेश दिया जाता है क्योंकि वह कोर्ट में मुकदमा चलाने से राजनयिक प्रतिरक्षा का आनंद लेता है।"

वकीलों ने स्पष्ट रूप से अलवर मोटर एसोसिएशन (प्राइवेट) लिमिटेड, अलवर के मामले में डिविजन बेंच के मामले और श्री नंद सिंह विरदी बनाम पंजाब रोडवेज, अमृतसर, (18), पर आधारित पिछले एकल पीठ के निर्णय को अदालत की सूचना में लाने में असफल रहे। इसी तरह, इस संदर्भ में मेरे द्वारा

देखी गई पूर्ववर्ती परंपरा को भी नहीं बताया गया था। इसमें शामिल बड़े सिद्धांत और अधिनियम के विशेष प्रावधान जो आकर्षित होते हैं, उन्हें बेंच की सूचना में नहीं लाया गया था।

20. यह भी प्रतीत होता है कि मामले की न्यायिकता उत्तरदाता-दावेदार के पक्ष में काफी झुकी हुई थी क्योंकि वहां का बीमाकृत राजनयिक कोर का सदस्य था और इसलिए, सिविल प्रक्रिया से प्रतिरक्षित था। निस्संदेह, ऐसे मामले दावेदारों के खिलाफ गंभीर कठिनाई पैदा करेंगे जो राजनयिक प्रतिरक्षा का आनंद लेने वाले व्यक्तियों की लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। हालांकि, यह एक ऐसा मामला है जिसे विधायिका के तत्काल विचार की आवश्यकता है, लेकिन इसे कानून से हटने के लिए एक आधार नहीं बनाया जा सकता, सिद्धांत और अखंड परंपरा दोनों पर आधारित कानून के रूप में। इसलिए, सबसे बड़े सम्मान के साथ, यह माना जाना चाहिए कि न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मामला (उपर्युक्त), सही तरीके से निर्णयित नहीं हुआ है और इसे यहाँ निरस्त किया जाता है।

21. अंत में, प्रारंभ में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में दिया जाता है और यह माना जाता है कि यदि बीमाकृत स्वयं किसी भी ऐसी दायित्व से मुक्त है, तो बीमादाता को अधिनियम की धारा 96 के तहत दायित्वबद्ध नहीं माना जा सकता। डिविजन बेंच का निर्णय अलवर मोटर एसोसिएशन (प्राइवेट) लिमिटेड, अद्वार के मामले में (उपर्युक्त), इस प्रकार पुष्टि किया जाता है और न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में (उपर्युक्त), निरस्त किया जाता है।

22. पूर्ण पीठ को भेजे गए मुद्दों का उत्तर उपर्युक्त रूप में दिया गया है, अब मामला गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस जाएगा।

एस. सी. मित्तल, न्यायाधीश - मैं सहमत हूँ।

एस. पी. गोयल, न्यायाधीश - मैं भी सहमत हूँ।

एन.के.एस.5116 HC—Govt. Press U. T. Chd.

Microsoft Translator

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी , हरियाणा